

पटना उच्च न्यायालय ने बिहार के कोटा वृद्धि को रद्द किया

चर्चा में क्यों?

[पटना उच्च न्यायालय](#) ने राज्य में सरकारी नौकरियों और उच्च शक्ति संस्थानों में [पछिड़े वर्गों](#), [अनुसूचिता जातियों](#) एवं [अनुसूचिता जनजातियों](#) के लिये आरक्षण कोटा 50% से बढ़ाकर 65% करने के बिहार सरकार के नरिणय को बदल दिया ।

मुख्य बदि:

- बिहार सरकार ने दो आरक्षण वधियकों, अर्थात् [बिहार पदों एवं सेवाओं में रक्तिरियों में आरक्षण संशोधन वधियक, 2023](#) और [बिहार आरक्षण संशोधन वधियक, 2023](#) के लिये एक राज-पत्र अधसूचना जारी की है
- ये वधियक वर्तमान आरक्षण परतशित को 50% से बढ़ाकर 65% कर देंगे, जिसके परणामस्वरूप राज्य में कुल आरक्षण कोटा 75% तक पहुँच जाएगा, जब [आरथकि रूप से कमज़ोर वर्गों \(EWS\)](#) के लिये अतरिक्ति 10% शामिल किया जाएगा ।
- ये संशोधन [इंदरा साहनी बनाम भारत संघ](#) मामले में पारति [सर्वोच्च न्यायालय](#) के नरिणय का उल्लंघन है, जिसमें अधिकतम सीमा 50% नरिधारति की गई थी ।
- कोटा वृद्धि भी भेदभावपूर्ण प्रकृति की थी तथा [अनुच्छेद 14, 15 और 16](#) द्वारा नागरिकों को प्रदत्त समता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन था ।

इंदरा साहनी एवं अन्य बनाम भारत संघ, 1992

- सर्वोच्च न्यायालय ने पछिड़े वर्गों के लिये 27% आरक्षण बरकरार रखते हुए उच्च जातियों के बीच आरथकि रूप से पछिड़े वर्गों हेतु 10% सरकारी नौकरियों के लिये सरकारी अधसूचना को लागू किया ।
- इसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इस सदिधांत को भी बरकरार रखा कि [संयुक्त आरक्षण लाभार्थियों](#) को भारत की जनसंख्या के 50% से अधिक नहीं होना चाहिये ।
- इस नरिणय में ['कुरीमी लेयर'](#) की अवधारणा को भी महत्त्व दिया गया और प्रावधान किया गया कि पछिड़े वर्गों के लिये आरक्षण केवल प्रारंभिक नयुक्तियों तक सीमति होना चाहिये तथा पदोन्नति में आरक्षण नहीं होना चाहिये ।

मौलिक अधिकार

- **अनुच्छेद 14: वधिके समक्ष समता**
 - इसमें कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में कसिी व्यक्ती को वधिके समक्ष समता या वधियों के समान संरक्षण से वंचति नहीं किया जाएगा ।
 - प्रत्येक व्यक्ती चाहे वह देश का नागरिक हो या वदिशी सब पर यह अधिकार लागू होता है । इसके अतरिक्ति व्यक्ती शिबद में वधिकि व्यक्ती अर्थात् [संवैधानिक नगिम, कंपनियों, पंजीकृत समतियों](#) या कसिी भी अन्य प्रकार का वधिकि व्यक्ती सम्मलित है ।
- **अनुच्छेद 15: भेदभाव पर रोक**
 - इसमें प्रावधान है कि राज्य द्वारा कसिी नागरिक के प्रतिकेवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान को लेकर वभिद नहीं किया जाएगा ।
- **अनुच्छेद 16: सार्वजनिक नयोजन के वषिय में अवसर की समानता**
 - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में राज्य के अधीन कसिी पद पर नयोजन या नयुक्ति से संबंधति वषियों में सभी नागरिकों के लिये अवसर की समता होगी ।

